न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

कमांक / वि.अ. / 226 / 18 / टोंक (2018 / 00226)

विभागीय अपील द्वारा श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी सुनारा हाल भू.अ.निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग जिला टोंक विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 20–07–1993 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री दिनेश कुमार पारीक तत्कालीन पटवारी सुनारा हाल भू.अ. निरीक्षक करेड़ा बुजुर्ग जिला टोंक

निर्णय

दिनांकः– 04.01.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, टोंक के आदेश दिनांक 20.07.1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 20.03.1993 को एक नोटिस अन्तर्गत नियम 17 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

राज्य सरकार द्वारा दिये गये पटवारी को वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत चालू माग के मुकाबले 90 प्रतिशत एवं बकाया मांग के मुकाबले 65 प्रतिशत भू–राजस्व मद में करने का प्रावधान किया गया है। पटवारी द्वारा वसूली 90 प्रतिशत होना बताया जो सन्तोषप्रद नहीं है। आपको मय रिकार्ड दिनांक 12.3.1993 को तहसील में उपस्थित नहीं होने का दोषी माना है। ऐसी स्थिति में अपने उच्चाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जवाब पेश करना चाहिए था जो नही किया गया यह उच्चाधिकारी के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है। जो अत्यन्त गंभीर है जिसके लिए आप दोषी है।

इस प्रकार आप द्वारा वसूली कार्य समय पर नहीं करने, कार्य में लापरवाही करने, आदेशों की पालना नहीं करने के दोषी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने अपीलान्ट को वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली शत प्रतिशत नहीं करवाने पर एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, टोंक के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक का आदेश दिनांक 20.7.1993 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है प्रार्थी को संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिस्थितियांवश यथाः जो भी विलम्ब हुआ वह सद्भाविक होकर क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी की सेवा में नियुक्ति प्रार्थी के पिता की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने के कारण मृतक आश्रित के रूप में हुई है। प्रार्थी अपने अलावा अपने पांच भाई बहनो व लम्बे समय से बीमार अपनी माताजी की सार संभाल में निरन्तर लगे रहने के कारण ध्यान नहीं दे पाया। उक्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रार्थी अधिकांश समय विभिन्न कारणों से बीमार रहने के कारण बार–बार चिकित्सा अवकाशों पर भी रहा है जिसकी पुष्टि प्रार्थी की सेवा पुस्तिका में भिन्न भिन्न अवधि के इन्द्राज रूपान्तरित एवं उपार्जित अवकाशों के अवलोकन से स्वतः ही हो जावेंगे। उक्त समस्त अवधि में प्रार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश की पत्रावली की बार–बार प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र कई बार प्रस्तुत किये गये किन्तु प्रार्थी को आज तक भी पत्रावली की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई गई अपितु जिला कलक्टर टोंक द्वारा उनके पत्रांक 147 दिनांक 18.6.18 को उक्त पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत कराया गया। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा कानूनी सलाह उपरान्त उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित

सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा आरोप से आरोपित किया गया है। प्रार्थी कभी भी पटवार मण्डल सुनारा पर पदस्थापित नहीं रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिये गये पटवारी को वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत चालू माग के मुकाबले 90 प्रतिशत एवं बकाया मांग के मुकाबले 65 प्रतिशत भू–राजस्व मद में करने का प्रावधान किया गया है इसके उपरान्त भी तहसीलदार निवाई द्वारा एवं अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं मानना किसी भी दृष्टि में राज्य सरकार द्वारा दिये गये मापदण्डों के विपरीत है। अतः इसके संबंध में निर्णय पारित कर प्रार्थी को दण्ड दिया जाना राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा मार्च में गश्त गिरदावरी व वसूली कार्य होने के कारण मेरे द्वारा भू.अ.निरीक्षक को वसूली उपरान्त रिकार्ड उपलब्ध करवाने का निवेदन कर दिया गया था। लैण्ड रेकार्ड रूल्स के अनुसार गश्त गिरदावरी कार्य के समय मासिक मीटिंग का भी आयोजन नहीं किया जाता है। केवल तहसीलदार द्वारा आशंका के आधार पर रिकार्ड निरीक्षण हेतु मंगाया जाना प्रतीत होता है। अपीलांट कभी भी पटवार मण्डल सुनारा पद पदस्थापित नहीं रहा है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलांट के पटवार मण्डल सुनारा पद पदस्थापन के बिना निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपखण्ड अधिकारी, टोंक से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 364 दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 से अवगत कराया है कि प्रकरण अत्यधिक पुराना है, संबंधित पत्रावली रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से चाही गई। प्रभारी जिला अभिलेखागार ने अवगत कराया कि संबंधित पत्रावली उनके रिकार्ड में भी नहीं है। अतः बिना रिकार्ड के अपील पर टिप्पणी किया जाना संभव नहीं है।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व गहन मनन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं जैसा कि अपीलांट के द्वारा यह अवगत कराया कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान चालू मांग के मुकाबले 90 प्रतिशत एवं बकाया मांग के मुकाबले 65 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी

थी। साथ ही यह भी अवगत कराया कि अपीलांट पटवार मण्डल सुनारा के पद पर कभी भी पदस्थापित नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा संबंधित भू.अ.निरीक्षक को गश्त गिरदावरी व वसूली कार्य होने के कारण वसूली उपरान्त रेकार्ड जमा करा दिया था। अपीलांट द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की कोई अवहेलना किया जाना बिना रेकार्ड के सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा उक्त दण्डादेश की पत्रावली की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु प्रार्थी को आज दिवस तक पत्रावली की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करायी गई तथा जिला कार्यालय टोंक में पत्रावली रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत कराया। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई गम्भीर अपराध कारित नहीं किया है जिससे उसकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जा सके। उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा स्पीकिंग आदेश भी पारित नहीं किया है। अपीलांट पर सीधे आरोप लगाना उचित नहीं है। तहसीलदार, निवाई द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया था कि उक्त तथ्य की जांच की जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी, टोंक ने तहसीलदार, निवाई की जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को एवं अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं अपीलार्थी की अपील पर कोई भी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र में उस पर लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सकते ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध पारित दण्डादेश को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। अतःएव उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 20.7.1993 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 20.7.1993 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.01.24 17:43:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: